

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा), बाड़मेर

क्रमांक: प. 19 (178)(1)मनरेगा/2015/

दिनांक:

जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु विज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बाड़मेर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु 3 जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नानुसार योग्यताधारी व्यक्तियों से नीचे अंकित तिथि तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम	जिला संसाधन व्यक्ति
शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम स्नातक या समकक्ष परीक्षा, वरिष्ठ शैक्षणिक योग्यताधारी को प्राथमिकता
आयु	21 से 65 वर्ष
Experience	The DRP should be appointed from a civil society organization preferably from the district. He/she should have a minimum of 3 year of grass root experience working on rights based issued.

जिला संसाधन व्यक्तियों को जॉब कार्य के आधार पर 20,000/- प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा।

शर्तें :-

1. जिला संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जावेगी, कार्यशैली के आधार पर अनुबंध पर अवधि बढ़ाई जा सकती है।
 2. नियुक्त किये गये जिला संसाधन को आवश्यकता होने पर निदेशक सामाजिक अंकेक्षण द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में हस्तान्तरित किया जा सकता है।
 3. पदों की संख्या तथा योग्यता/अनुभव में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- जिला संसाधन व्यक्ति के चयन हेतु आवेदन पत्र जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) नरेगा सामाजिक अंकेक्षण शाखा में दिनांक 31.12.2015 को साय: 6 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं, इस दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र वेबसाईट barmer.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

- Sd -

(एम.एल.नेहरा)

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: प. 19 (178) (1)मनरेगा/2015/9636-9640

दिनांक: 02.12.2015

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज, जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त (ईजीएस) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज, जयपुर
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर
4. जिला एम.आई.एस. मेनेजर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र barmer.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन करने की व्यवस्था करें।
5. संपादक, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर, बाड़मेर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को आगामी संस्करण में जारी करें।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा, बाड़मेर

